न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 113/2024 अपील (GCMS 2024/161)
पंजीयन दिनांक– 08/05/2024
निर्णय दिनांक– 03/07/2025

1. श्री मोतीलाल पिता नाना मीणा, निवासी हिरण मगरी सेक्टर–4, उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।

2. श्री प्रकाश पिता लोगर कटारा, निवासी सुरो का फला, बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पुष्कर लौहार अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री नरेन्द्र चित्तौडा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा 90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकारण उदयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2023-24/102490 दिनांक 04.01.2024

<u>निर्णय</u>

दिनांक 03/07/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के आदेश

क्रमांक LU2012/UDP/2023-24/102490 दिनांक 04.01.2024 अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के विरूद्ध दिनांक 08.05.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/UDP/2023-24/102490 दिनांक 04.01.2024 से रेस्पोडेंट संख्या 2 श्री प्रकाश पिता लोगर कटारा, निवासी सुरों का फला, बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर को राजस्व ग्राम बलीचा की खसरा संख्या 2320/887, 2363/2319, 2515/2369 एवं 897 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1013 हैक्टेयर भूमि का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि का गैर–कृषिक (आवासीय प्रयोजन) प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्कर लौहार उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चित्तौडा उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि राजस्व ग्राम बलीचा में कृषि भूमि आराजी संख्या 887 से 898 कुल किता 12 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर मूल खातेदार

श्री बद्रीलाल, लालु, गोवर्धन एवं शंकर के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की थी। इस भूमि के संबंध में बद्रीलाल पिता खातु ने एक बंटवाडे का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के यहां लालु, गोवर्धन एवं शंकर के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 77/2019 होकर वाद में दिनांक 03.09.2019 को प्रारंभिक डिक्री जारी करते हुए दिनांक 04.02.2020 को अंतिम डिक्री जारी की गई थी। इस बंटवाडे की कार्यवाही के पूर्व ही लालु पिता मोती ने अपना 1/4 हिस्सा दिनांक 30.10.2009 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से धर्मचंद पिता बाबरू एवं मोतीलाल पिता नाना अपीलांट को विक्रय कर दिया था। तत्पश्चात् धर्मचंद ने अपना 1/8 हिस्सा दिनांक 13.11.2009 को मोतीलाल पिता नाना मीणा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हस्तांतरित कर दिया था। इस प्रकार उक्त आराजी का लालु पिता मोती के हिस्से का एक मात्र मोतीलाल पिता नाना अपीलांट बहैसियत मालिक काबिज हुआ तथा इस महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी होते हुए लालु पिता मोती द्वारा बंटवाडे के वाद में अंतिम डिक्री उपखण्ड न्यायालय, गिर्वा से दिनांक 04.02.2020 को जारी करवाई गई, जिसके विरूद्ध धारा 96 में अनुमति प्राप्त करते हुए अपीलांट मोतीलाल पिता नाना मीणा ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के यहां पर बद्रीलाल व अन्य के विरूद्ध अपील प्रकरण संख्या 32/2022 प्रस्तुत की तथा उस अपील को दिनांक 02.01.2024 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा दिनांक 04.02.2020 से जारी अंतिम डिक्री बंटवाडा निरस्त किया गया। इस तथ्य की जानकारी वर्तमान अपील के रेस्पोडेंट संख्या 1 नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर स्वयं बतौर राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय में रेस्पोडेंट संख्या 6 होते हुए भी रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में धारा 90–क की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात का उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के द्वारा किये गये बंटवाडे के आधार पर

उक्त आराजीयात के नये नम्बरों का उल्लेख होकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो जाने से लालु के वारियों द्वारा उक्त आराजीयात के नये नम्बरो का पंजीयन दिनांक 19.05.2023 को रेस्पोडेंट संख्या 2 प्रकाश को करवा दिया, जिसका उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के न्यायालय में अपील की कार्यवाही के दौरान जो विक्रय पत्र लालु के वारिसों द्वारा निष्पादित किया गया था, उससे अपीलांट के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पडता है, क्योंकि अपीलांट ने वर्ष 2009 में ही लालु से संपत्ति का विक्रय पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करवा दिया था, जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 2 को थी और उदयपुर विकास प्राधिकरण को भी इस तथ्य की जानकारी थी कि उक्त आराजीयात के संबंध में न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के यहां अपील विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में एक वाद रामलाल पिता भेरा गमेती ने संविदा की विशिष्ठ पालना का लालु पिता मोती व अपीलांट मोतीलाल के विरूद्ध न्यायालय जिला न्यायाधीश संख्या 2, उदयपुर में पेश किया, जिस पर अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2011 से इस भूमि को अन्य हस्तांतरित नहीं करने हेतु दिनांक 22.07.2011 को स्थगन आदेश पारित किया गया था। उक्त स्थगन आदेश के प्रभाव में होते हुए तथा उक्त सभी तथ्यों की जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को होते हुए भी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा धारा 90–क की कार्यवाही की गई है, वह दुषित होने से खारिज की जावें तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि राजस्व ग्राम बलीचा के आराजी नम्बर 2320/887, 2363/2319, 2515/2369 एवं 897 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1013 हैक्टेयर भूमि के संबंध में राजस्व जमाबंदी के खातेदारों द्वारा

रेस्पोडेंट संख्या 1 के कार्यालय में आवासीय रूपांतरण कराने हेतु विधिवत् आवेदन किया गया, जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वर्णित आराजीयात भूमि के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत धारा 90–क के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुर्नग्रहण आदेश दिनांक 04.01.2024 को पारित किया गया। उक्त पुर्नग्रहण आदेश की कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार अखबार में प्रकाशन कराते हुए की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 वादग्रस्त भूमि का खातेदार होने से रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विधिवत रूप से उक्त भूमि का रूपांतरण किया है, जिसके लिये सार्वजनिक रूप से दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 02.11.2023 को आपत्ति प्रकाशित करवायी, जिसकी जानकारी अपीलांट को थी, जानकारी के बावजूद भी अपीलांट द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई, जिस पर विधिवत् रूप से दिनांक 04.01.2024 को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आदेश पारित किया गया तथा जानकारी के बावजूद किसी कारण के मयाद बाहर उक्त अपील पेश की है, जो इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वार दिनांक 30.10.2009 व दिनांक 13.11.2009 को क्रय किया गया हिस्सा धोखाधडी पूर्वक किया गया था, चूंकि उक्त भूमि का विक्रेता लालु द्वारा पहले से ही भूमि का विक्रय इकरार रामलाल पिता मोती के पक्ष में निष्पादित कर चुका था, उसके पश्चात् विक्रेता लालु के साथ धोखाधडी करते हुए अपीलांट ने यह जानकारी होते हुए कि उक्त भूमि का विक्रय इकरार दिनांक 24.09.2009 को निष्पादित हो चुका है, फिर भी बिकावनामा निष्पादित कराया। अपीलांट ने विक्रय इकरार दिनांक 20.01.2022 से उक्त भूमि का

अंतरण मांगू पिता रोडा को कर दिया है, जिसका भी इकरार विशिष्ठ पालना का वाद अपर जिला न्यायालय क्रम संख्या 2, उदयपुर में प्रकरण विचाराधीन है, इसलिए भी अपीलांट को वादग्रस्त भूमि में अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा में प्रस्तुत बंटवारे का वाद विधिवत् रूप से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर निर्धारित किया है, जिसमें दिनांक 04.02.2020 को अंतिम डिक्री पारित की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण संख्या 33/2022 में दिनांक 20.01.2024 को यह कहते हुए निर्णय पारित किया है, कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर के द्वारा जारी अंतिम डिक्री दिनांक 04.02.2020 के समय लालु की मृत्यु हो गई थी तथा उसके वारिसान कामय किये बिना उक्त अंतिम डिक्री जारी कर दी गई, जिससे उक्त अंतिम डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध जारी होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। वादग्रस्त आराजी बाबत न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2, उदयपुर द्वारा अपीलांट को प्रकरण संख्या 07/2011 में दिनांक 22.07.2011 को स्थगन आदेश से पाबंद कर रखा था कि वह उक्त भूमि का स्थानांतरण नहीं करे, तथा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। न्यायालय द्वारा जारी उक्त स्थगन आदेश रामलाल पिता भेरा पर प्रभावी नहीं होने से उसने लालु के वारिसान से जरिये पंजीकृत मुख्तियार नामा के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया। मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारे की डिक्री पारित की है। वादग्रस्त भूमि पर मकानात बने हुए है तथा कब्जे अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवारा हुआ है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने मात्र अंतिम डिक्री के समय लालु की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसानों के नाम नहीं डालने के आधार अंतिम डिक्री खारित करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को प्रकरण

प्रतिप्रेषित किया है। अतः उक्त अपील खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.01.2024 की अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 08.05.2024 को पेश की गयी है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था अतएवं उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होना प्रमाणित नहीं है, अतएवं अपीलांट की अपील को न्यायहित में कण्डोन किया जाता है।

प्रकरण में अब हम अपीलांट के दफा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में यह वर्णित किया है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। वादग्रस्त भूमि के संबंध में आदेश पारित करते समय प्रार्थी को नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही प्रार्थी को सुना गया था। हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है, उसमें अपीलांट की भूमि प्रभावित होती है, अतएवं अपीलांट को आवश्यक, हितबद्ध पक्षकार प्रथम दृष्टया उचित समझते हैं, तद्नुसार दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/UDP2023-24/102490 दिनांक 04.01.2024 से रेस्पोडेंट संख्या 2 श्री प्रकाश पिता लोगर कटारा, निवासी सुरों का फला, बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर को राजस्व ग्राम बलीचा की खसरा संख्या 2320/887, 2363/2319, 2515/2369 एवं 897 कुल किता 4 कुल रकबा

0.1013 हैक्टेयर का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि का गैर–कृषिक (आवासीय प्रयोजन) प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि श्री लालु पिता मोती भील, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, उदयपुर द्वारा आराजी संख्या 887 से 898 कुल किता 12 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि का 1/4 हिस्सा श्री धर्मचंद पिता बाबरू मीणा, निवासी थुरिया मगरी, उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर एवं श्री मोतीलाल पिता नाना मीणा, निवासी हिरण मगरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2009 से विक्रय किया गया। तत्पश्चात् श्री धर्मचंद पिता बाबरू मीणा, निवासी थुरिया मगरी, उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा आराजी संख्या 887 से 898 कुल किता 12 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि का 1/8 हिस्सा भी श्री मोतीलाल पिता नाना मीणा, निवासी हिरण मगरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 13.11.2009 से विक्रय किया गया प्रमाणित है।

प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि श्री बद्रीलाल पिता खातु मीणा, निवासी घोड़ी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम बलीचा की आराजी नम्बर 887 से 898 कुल किता 12 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 संयुक्त खातेदार होकर काबिज चले आ रहे है, जिसमें प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है। वादी अपने 1/4 हिस्से का बंटवारा करवाकर अलग कब्जा प्राप्त करना चाहता है। अतः विवादित आराजीयात का पक्षकारान् के मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया

जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें।

इसी प्रकरण में पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा दिनांक 12.03.2014 को वादी का वाद स्वीकर कर प्रारंभिक डिक्री जारी की गई थी। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 03.06.2017 को अंतिम डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध श्री गोवर्धनलाल पिता मोती भील, निवासी चौधरी पेट्रोल पम्प के पास, राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8, बलीचा उदयपुर ने अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील संख्या 116/2016 प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा दिनांक 16.03.2019 को स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर को प्रतिप्रेषित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के उक्त आदेश दिनांक 16.03.2019 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर दिनांक 03.09.2019 को वादी बद्रीलाल का वाद स्वीकार कर प्रारंभिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 04.02.2020 को अंतिम डिक्री जारी की गई, जिससे रूष्ट होकर वर्तमान अपील के अपीलांट श्री मोतीलाल पिता नाना मीणा, निवासी हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर 4, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा अपील पुनः अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर को दिनांक 19.05.2022 को प्रस्तुत की गई।

उक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण दर्ज कर

प्रकरण संख्या 32/2022 निर्णय दिनांक 02.01.2024 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:- *"जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में विवादित आराजी नम्बर 887 से 898 किता 12 रकबा 0.8100 हैक्टेयर लालु, गोवर्धन पिता मोती 1/2, बद्रीलाल पिता खातू 1/4 तथा शंकर पिता हकरा 1/4 दर्ज है। अर्थात विवादित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 (रेस्पोडेंट संख्या 4) लालु का 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। लालु ने अपना 1/4 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2009 से अपीलांट (मोतीलाल पिता नाना) व धर्मचंद के पक्ष में कर दिया तथा बाद में धर्मचंद द्वारा भी अपना हिस्सा 1/8 रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 13.11.2009 को अपीलांट (मोतीलाल पिता नाना) के पक्ष में कर दिया गया, जिससे अपीलांट विवादित आराजीयात के 1/4 हिस्से का मालिक हो गया। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 28.04.2011 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त वाद में लालू प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में संस्थित है तथा रामलाल ने एक वाद लालू के विरूद्ध वर्ष 2010 में जिला न्यायालय न्यायाधीश संख्या 2, उदयपुर में प्रस्तुत किया था, जिससे हाल अपीलांट मोतीलाल भी प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में संस्थित है तथा उक्त वाद में अपीलांट के पक्ष में किये गये विक्रय का उल्लेख है। दिनांक 30.10.2019 को पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये पर्चा मौके में लालु की मृत्यु हो जाने का कथन अंकित है, जबकि लालु के वारिसान को बिना कायम मुकाम बनाये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2020 को अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी है, जिससे उक्त डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध जारी होने से निरस्त योग्य है तथा उक्त डिक्री के आधार पर बाद में राजस्व अभिलेखों में जो भी अंकन हुए है व भी निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री दिनांक 04.02.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण*

में अपीलांट मोतीलाल को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में संस्थित कर एवं सुनवाई व साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर अपीलांट के पक्ष में किये गये विक्रय पत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।"

अतः प्रकरण में विधिक स्थिति यह परिलक्षित होती है कि अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2022 निर्णय दिनांक 02.01.2024 से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 77/2019 निर्णय डिक्री दिनांक 04.02.2020 के आधार पर बाद में राजस्व अभिलेखों में जो भी अंकन हुए है व भी निरस्त योग्य माने है तथा निर्णय डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलांट मोतीलाल को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में संस्थित कर एवं सुनवाई व साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर अपीलांट के पक्ष में किये गये विक्रय पत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने करने हेतु अधीनस्थ न्यालयाल उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को निर्देशित किया गया है, उक्त प्रकरण में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर स्वयं रेस्पोडेंट संख्या 6 के रूप पक्षकार थे।

अतः उक्तानुसार प्रकरण में वर्णित आराजीयात का श्री लालु पिता मोती भील, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, उदयपुर द्वारा 1/4 हिस्सा श्री धर्मचंद पिता बाबरू मीणा, निवासी थुरिया मगरी, उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर एवं श्री मोतीलाल पिता नाना मीणा, निवासी हिरण मगरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2009 से तथा श्री धर्मचंद पिता बाबरू मीणा, निवासी थुरिया मगरी, उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर 1/8 हिस्सा श्री मोतीलाल पिता नाना मीणा, निवासी हिरण मगरी, तहसील

गिर्वा, जिला उदयपुर को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 13.11.2009 से विक्रय किये जाने के बाद के समस्त विक्रय विलेखों के आधार पर राजस्व अभिलेखों में जो भी अंकन हुए है उनको अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2022 निर्णय दिनांक 02.01.2024 से निरस्त होने योग्य माना है।

पक्षकारान् के मध्य एक अन्य प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्य. प्र. सं. प्रकरण संख्या 07/2011 मु. दी. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, उदयपुर के प्रकरण में वर्णित आराजीयाज के संबंध में निर्णय दिनांक दिनांक 22.07.2011 से "प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्य. प्र. सं. स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक विपक्षी संख्या 2 व 3 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि के 1/4 हक व हिस्से को अन्य को किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं करे, अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित नही कराये, वादग्रस्त भूमि की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें तथा कब्जा किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करें। विवादित भूमि को आवासीय या अन्य प्रयोजनार्थ रूपांतरित नहीं करावें।" हांलाकि प्रकरण में मूल वाद दिनांक 21.04.2025 को निर्णित हो चुका है, परंतु तत्समय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा की गई 90–क की कार्यवाही के दौरान न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, उदयपुर द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी थी।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के निर्णय डिक्री दिनांक 04.02.2020 के आधार पर बाद में राजस्व

अभिलेखों में जो भी अंकन हुए है व भी निरस्त होने योग्य माने है तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा की गई 90—क की कार्यवाही के दौरान न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या—2, उदयपुर द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी थी।

अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसका यह न्यायालय समर्थन करना उचित नही समझता है। उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय दिनांक 04.01.2024 अपास्त किया किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर